

// कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर (छ०ग०) //

// ज्ञापन //

क्रमांक
प्रति,

/एक-12-1/1987

जगदलपुर, दिनांक /09/2025

श्री कवल साय कश्यप,
पिता- श्री काड़ी कश्यप,
ग्राम बेड़ाउमरगांव, पो० कचनार, तहसील बकावण्ड,
जिला बस्तर (छ०ग०)

विषय- अनुवादक पद पर कार्य करने के संबंध में ।

संदर्भ- अनुवादक के पद पर कार्य करने हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 02-09-2022

--o--

उक्त विषयांतर्गत लेख है कि जिला एवं सत्र न्यायालय, बस्तर स्थान जगदलपुर में अनुवादक/द्विभाषिया के पद पर कार्य करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आपके द्वारा दिनांक 02-09-2022 को संदर्भित आवेदन प्रस्तुत किया गया था ।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा आपके संदर्भित आवेदन पर विचार करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के अधिसूचना क्रमांक 5359/नियम व आदेश (दांडिक)/2007, बिलासपुर, दिनांक 03 अगस्त, 2007 के तारतम्य में इस जिला स्थापना के न्यायालयों में हल्बी, भतरी, गोण्डी एवं धुरवी बोलियों का हिन्दी में अनुवाद किये जाने हेतु कलेक्टर, जिला बस्तर द्वारा समय-समय पर पूर्णकालिक कुशल श्रमिक या अंशकालिक कुशल श्रमिक के लिए स्वीकृत दर पर कार्य करने के लिये नीचे उल्लेखित शर्तों के अधीन कार्य पर उपस्थित होने के दिनांक से आपको अनुवादक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है ।

अतः यथा आदेश अनुवादक का कार्य संपादित करने हेतु ज्ञापन प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होंगे ।

शर्तें:-

- (1) अनुवादक का पद पूर्णतः अंशकालिक है ।
- (2) अनुवादक के कार्य पर उपस्थित होने के उपरांत, जिस कार्य दिवस पर उनके द्वारा कार्य करने के संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, उस कार्यदिवस का ही भुगतान कलेक्टर, जिला बस्तर द्वारा निर्धारित दर के अनुसार किया जावेगा ।
- (3) अनुवादक के कार्य पर उपस्थित होने के उपरांत बिना कारण बताए कभी भी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी ।
- (4) अनुवादक, कार्य पर उपस्थित होने के उपरांत बिना लिखित कारण दर्शाये अपने कार्य को नहीं छोड़ सकता है ।

प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

बस्तर स्थान जगदलपुर

पृ० क्रमांक 3033 /एक-12-1/1987

जगदलपुर, दिनांक 23 /09/2025

यथा आदेश प्रतिलिपि:-

- 1- प्रथम/द्वितीय/तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर
- 2- अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी.) (पॉक्सो एक्ट), जगदलपुर
- 3- अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), जगदलपुर
- 4- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर
- 5- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगदलपुर
- 6- न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जगदलपुर
- 7- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर
- 8- प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर
- 9- लेखापाल, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 10- सहायक प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, जगदलपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त ज्ञापन की प्रति को जिला एवं सत्र न्यायालय, बस्तर स्थान जगदलपुर के वेबसाइट में तत्काल अपलोड करें ।

प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

बस्तर स्थान जगदलपुर